प्रेस नोट
सराहनीय कार्य जनपद गोण्डा-
दिनांक 05.11.2024

थाना को0 नगर व एस0ओ0जी0 की संयुक्त टीम द्वारा 101 किलो 200 ग्राम अवैध गांजा (अनुमानित कीमत ₹25,30,000/-) के साथ 01 मादक पदार्थ तस्कर व 01 बालअपचारी को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से परिवहन में प्रयुक्त 01 अदद मोटरसाईकिल बरामद-

कार्यवाही:-
पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री सौरभ वर्मा के कुशल नेतृत्व में थाना को0 नगर व एस0ओ0जी0 की संयुक्त टीम द्वारा मादक पदार्थ तस्कर रवि चौहान उर्फ सुड्डू पुत्र रामपाल चौहान नि0 मुरादीपुर हरैया जनपद बस्ती व एक बालअपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लेकर उनके कब्जे व निशानदेही से 101 किलो 200 ग्राम अवैध गांजा (अनुमानित कीमत ₹25,30,000/-) व परिवहन में प्रयुक्त 01 अदद टीवीएस राइडर मोटरसाईकिल बरामद किया गया।

संक्षिप्त विवरण-
जनपद गोण्डा में अवैध मादक पदार्थो की तस्करी की रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा जनपद के समस्त प्र0नि0/थानाध्यक्षों व प्रभारी एस0ओ0जी0 को मादक पदार्थ तस्करों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए थे। उक्त निर्देश के अनुक्रम में दिनांक 04/05.11.2024 की रात्रि थाना को0 नगर व एस0ओ0जी0 की संयुक्त टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर महादेवा रेलवे क्रासिंग ओवरब्रिज के पास से मदाक पदार्थ तस्कर रवि चौहान उर्फ सुड्डू को गिरफ्तार कर व एक बालअपचारी को संरक्षण में लेकर कर उनके कब्जे व निशानदेही से 101 किलो 200 ग्राम अवैध गांजा व परिवहन में प्रयुक्त 01 अदद टीवीएस0 राइडर मोटरसाईकिल को बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त व बालअपचारी के विरूद्ध थाना को0 नगर में गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-
गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ के दौरान ज्ञात हुआ कि ये लोग अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर कम दामों में बिहार, उड़ीसा व असम राज्य से अवैध गांजा खरीदकर मांग के अनुसार विभिन्न जनपदों में अधिक दामों में सप्लाई करते है तथा अवैध गांजे की बिक्री से प्राप्त पैसों से अपना व अपने परिवार का जीवन यापन करते है तथा अन्य भौतिक सुख सुविधाओं का लाभ लेते है।

गिरफ्तार अभियुक्त-
01. रवि चौहान उर्फ सुड्डू पुत्र रामपाल चौहान नि0 मुरादीपुर हरैया जनपद बस्ती।
02. बालअपचारी

गिरफ्तारी का स्थान-

महादेव रेलवे क्रॉसिंग ओवर ब्रिज के पास से।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-832/2024, धारा 8/20 एनडीपीएस ऐक्ट थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

बरामदगी का विवररण-

01. 101 किलो 200 ग्राम अवैध गांजा (अनुमानित कीमत ₹ 25,30,000/-)
02. परिहवन में प्रयुक्त 01 अदद टीवीएस राइडर मोटरसाईकिल।

अभियुक्त रवि चौहान उर्फ सुड्डू का आपराधिक इतिहास-

01. मु0अ0सं0-114/2021, धारा 307 भादवि थाना कप्तानगंज जनपद बस्ती।
02. मु0अ0सं0-115/2021, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कप्तानगंज जनपद बस्ती।
03. मु0अ0सं0-116/2021, धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 थाना कप्तानगंज जनपद बस्ती।
04. मु0अ0सं0-292/2019, धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 थाना छावनी जनपद बस्ती।
05. मु0अ0सं0-53/19, धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 थाना हरैया जनपद बस्ती।
06. मु0अ0सं0-127/20, धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 थाना हरैया जनपद बस्ती।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 रजनीश द्विवेदी थाना को0 नगर मय टीम।
02. प्रभारी एस0ओ0जी0 शादाब आलम।
03. हे0का0 अरूण कुमार यादव।
04. हे0का0 महेन्द्र यादव।
05. हे0का0 राकेश सिंह।
06. हे0का0 रणधीर सिंह।
07. हे0का0 पंकज सिंह।
08. का0 आदित्य पाल।
09. का0 अमितेश सिंह।
10. का0 अंशुमान पाण्डेय।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 05.11.2024

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा छठ पूजा पर्व के दृष्टिगत थाना को0 नगर क्षेत्रांतर्गत खैरा भवानी मंदिर परिसर व घाट का स्थलीय निरीक्षण कर बैरिकेटिंग/पार्किंग/प्रकाश एव साफ–सफाई आदि की समुचित व्यवस्था हेतु सम्बन्धित को दिए गए आवश्यक दिशा–निर्देश–

गोण्डा। आज दिनांक 05.11.2024 को पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा छठ पूजा पर्व के दृष्टिगत थाना को0 नगर क्षेत्रांतर्गत खैरा भवानी मंदिर परिसर व घाट का स्थलीय निरीक्षण किया गया। महोदय द्वारा मंदिर परिसर/घाट में भ्रमण कर प्रकाश एवं साफ–सफाई आदि की समुचित व्यवस्था का जायजा लिया गया तथा मंदिर परिसर में लगे सी0सी0टी0वी0 कैमरों को चेक कर सम्बन्धित अधि0/कर्मचारीगणों को आवश्यक दिशा–निर्देश दिए गए। महोदय द्वारा प्र0नि0 को0 नगर को बैरिकेटिंग, रूट चार्ट, पार्किंग व गोताखोरों की व्यवस्था व अन्य सुरक्षा व्यवस्थाओं के सम्बन्ध में विशेष दिशा–निर्देश दिए गए। महोदय द्वारा बताया गया कि जनपद में छठ पूजा पर्व को सकुशल ढंग से सम्पन्न कराने हेतु व्यापक पुलिस प्रबन्ध किए गए है। पुलिस एवं प्रशासन के उच्चाधिकारीगणों द्वारा संयुक्त रूप से क्षेत्र में भ्रमण कर निरतंर प्रभावी पेट्रोलिंग की जा रही है। बस स्टाप/स्टेशनों पर सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत पर्याप्त संख्या में पुलिस के जवानों की ड्यूटी लगायी गयी है। सार्वजनिक जगहों तथा भीड़–भाड़ वाले स्थानों पर मोबाइल पेट्रोलिंग की व्यवस्था की गयी है। सार्वजनिक/भीड़–भाड़ वालें स्थानों पर बालिकाओं/महिलाओं के साथ छेड़छाड की सम्भावना के दृष्टिगत सादे वस्त्रों में महिला/पुरूष जवानों के अतिरिक्त एण्टी रोमियों की टीम को भी लगाया गया है। पूजा अर्चना वाले स्थलों (नदियों/तालाब/जलाशयों) पर पर्याप्त प्रकाश/साफ–साफ/गोताखोर की समुचित व्यवस्था की गयी है। श्रद्धालुओं की भीड़ के दृष्टिगत सुदृढ सुरक्षा/पुलिस प्रबन्ध/यातायात/पब्लिक एड्रेस सिस्टम की समुचित व्यवस्था की गयी है। स्थानीय अभिसूचना इकाई एवं अन्य अभिसूचना तंत्रों के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा कानून व्यवस्था को प्रभावित करने वाले विभिन्न असामाजिक, अवांछनीय एवं साम्प्रदायिक तत्वों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। पुलिस सोशल मीडिया सेल द्वारा भी लगातार सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्मो, ट्विटर, फेसबुक व व्हाट्सएप ग्रुपों सहित अन्य सोशल मीडिया के प्लेटफार्मो पर निरंतर निगरानी की जा रही है।

इस अवसर पर प्रशिक्षु0 उपाधीक्षक उदित नारायण पालीवाल, प्र0नि0 मनोज कुमार पाठक सहित राजस्व व पुलिस के अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण मौजूद रहें।

मीडिया सेल, गोण्डा।